

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

दांडिक अपील क्रमांक: 16 / 2015

संस्थित दिनांक-08.12.2014

फाईलिंग नंबर-230303016012014

रनधीरसिंह पुत्र कप्तानसिंह आयु 35 साल
जाति चौहान निवासी ग्राम किटी थाना मौ
परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

-----अपीलार्थी / आरोपी

वि रु द्ध

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-
आरक्षी केन्द्र गोहद जिला-भिण्ड (म0प्र0)

-----प्रत्यर्थी / अभियोगी

राज्य द्वारा श्री भगवानसिंह बघेल अपर लोक अभियोजक
अपीलार्थी / आरोपी द्वारा श्री बी0एस0 यादव अधिवक्ता

न्यायालय-श्री एस0के0 तिवारी, जे.एम.एफ.सी., गोहद, द्वारा दांडिक प्रकरण
क्रमांक-156 / 2010 इ0फौ0 में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 18.11.2014 से उत्पन्न
दांडिक अपील ।

-:- निर्णय -:-

(आज दिनांक 10.02.2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

01. अपीलार्थी / आरोपी रन्धीरसिंह की ओर से उक्त दांडिक अपील धारा-374 द0प्र0सं0 1973 के अंतर्गत न्यायालय जे0एम0एफ0सी0 गोहद श्री एस0के0 तिवारी द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक-156 / 2010 निर्णय दिनांक-18.11.14 के निर्णय एवं दण्डाज्ञा से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा-25(1-ख)(क) आयुध अधिनियम के अपराध में एक वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था ।
02. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि दिनांक 06.01.10 को आरोपी / अपीलार्थी रनधीरसिंह चौहान के पास शस्त्र रखने का कोई वैध लायसेन्स नहीं था ।
03. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि थाना गोहद के प्र0आर0 वीरबहादुर को दौराने कस्बा गस्त मुखबिर की सूचना मिली कि बनीपुरा तिराहा पर दो बाहरी व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में अपराध करने की नीयत से हथियार लिये खड़े हैं । उक्त सूचना की तश्दीक हेतु हमराही फोर्स के साथ मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचा तो वहाँ पर दो व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे जिसे फोर्स की सहायता से पकड़कर नाम पता पूछा तो एक ने अपने नाम रणधीरसिंह चौहान पुत्र कप्तानसिंह चौहान निवासी किटी थाना मौ का होना बताया । जिसे पंचान उदयभानसिंह, व रामदास के जामा तलाशी लेने पर उसकी दाहिनी तरफ कमर में एक कट्टा 315 बोर का लोडेड हालत में मिला

जिसे खोलकर देखा तो एक जिन्दा पीतल का राउण्ड लगा होना पाया गया। लायसेन्स मांगने पर कोई लायसेन्स न होना बताया। तब आरोपी से उक्त कट्टा व कारतूस की विधिवत जप्ती की गई व आरोपी कोई गिरफ्तार किया गया। एवं थाना वापिसी पर आरोपी के विरुद्ध अप0क्र0-11/10 पर धारा- 25/27 आयुध अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया। तथा विवेचना में लिया गया। एवं विवेचना उपरान्त अभियोगपत्र विचारण हेतु सक्षम जे.एम.एफ.सी. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोग पत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रपत्रों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा-25(1-ख)(क)आयुध अधिनियम के तहत आरोप लगाये गये जिन्हें आरोपी को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोप से इंकार किया, उसका विचारण किया गया। विचारणोपरांत अपीलार्थी को निर्णय की कंडिका-1 के अनुसार दण्डित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की गयी है।

05. अपीलार्थी/आरोपी की ओर से प्रस्तुत किए गये अपीलीय ज्ञापन में मूलतः यह आधार लिया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं विधान के प्रतिकूल होकर निरस्त किए जाने योग्य है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत सभी साक्षीगण हितबद्ध साक्षी हैं कोई भी साक्षी स्वतंत्र साक्षी नहीं है। उनके कथनों में काफी विरोधाभास है। तथा सही रूपसे साक्ष्य का विवेचन किये बिना ही दण्डित किया गया है। एकमात्र साक्षी उदयभान उर्फ पापेलाल जो कि नगर रक्षा समिति का सदस्य है, उसने भी घटना का समर्थन नहीं किया है। तथा स्वतंत्र साक्षी की साक्ष्य के अभाव में भी दोषसिद्धि गलत की गई है। अतः उक्त आधारों पर अपील स्वीकार की जाकर आरोपी को दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की है।

06. अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :-

1- "क्या, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित मानकर उसे इस अपराध में दोषसिद्ध करदंडित करने में विधि या तथ्य की भूल की गई है ?"

2- क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई दण्डाज्ञा कठोर है ?

--- निष्कर्ष के आधार ---

07. आरोपी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में मूलतः यह व्यक्त किया है कि घटना का किसी स्वतंत्र साक्ष्य से समर्थन नहीं है। प्रकरण के एकमात्र स्वतंत्र साक्षी उदयसिंह अ0सा0-2 जिसने अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया है और जो घटनास्थल बताया गया है उसके आसपास बस्ती बताई गई है। लोगों के मकान बताये हैं। उनमें से कोई साक्षी नहीं बनाया गया है और उसका कोई कारण भी स्पष्ट नहीं किया गया है। तथा प्रकरण में कोई रोजनामचासान्हा भी पेश नहीं किया गया है जिससे विवेचक वीरबहादुर सिंह अ0सा0-5 और प्र0आर0 रामदास अ0सा0-4 का बताया गया घटनास्थल बनीपुरा तिराहा गोहद पर जाने की पुष्टि नहीं होती है। न ही मौके पर कोई कार्यवाही किये जाने की पुष्टि होती है। जप्ती पत्रक पर सील छाप की मुद्रा अंकित नहीं की गई है जिससे जप्ती संदिग्ध है। जप्ती पत्रक में इस बात का उल्लेख नहीं है कि आरोपी/अपीलार्थी के शरीर के किस भाग से कट्टा कारतूस बरामद हुआ इसलिये

मौखिक साक्ष्य में दाहिनी कमर में खुरसे होने की बात काल्पनिक हो जाती है। और स्वतंत्र साक्ष्य से समर्थन न होने से दोनों साक्षी कतई विश्वसनीय नहीं हैं। उदयसिंह के द्वारा आरोपी पर कोई हथियार भी नहीं देखा गया है। जबकि वह नगर रक्षा समिति का सदस्य था। इन सभी गंभीर विषंगतियों के बावजूद विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय मुताबिक आरोपी/अपीलार्थी को धारा-25(1-ख)(क) आयुध अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध ठहराते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कर दिया है जो कि विधिक रूप से कतई उचित नहीं है और विश्वसनीय साक्ष्य का अभाव है। केवल पुलिस कर्मियों के ही कथन हुए हैं जिनकी आपस में हितबद्धता है इसलिये अपील स्वीकार की जाकर आरोपी/अपीलार्थी रणधीरसिंह चौहान को धारा-25(1-ख)(क) आयुध अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जावे और अर्थदण्ड वापिस दिलाया जावे। जिसका विद्वान ए0जी0पी0 द्वारा अपने तर्कों में विरोध करते हुए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए दोषसिद्धि और दण्डाज्ञा अधिरोपित करना बताते हुए अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

08. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर चिंतन, मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख पर आई साक्ष्य का अध्ययन किया गया। दांडिक अपील के संबंध में यह सुस्थापित विधि है कि अपील न्यायालय को भी अधीनस्थ न्यायालय की भांति ही अभियोजन साक्ष्य का मूल्यांकन करना होता है। जैसा कि न्याय दृष्टांत **म.प्र. राज्य विरुद्ध बल्लोर उर्फ रामगोपाल 2006 भाग-1 म.प्र. विधि भास्वर पेज-01** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख पर जो साक्ष्य अभियोजन की ओर से पेश की गई है उसका मूल्यांकन करते हुए यह देखना होगा कि क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आलोच्य निर्णय में जो निष्कर्ष निकाले हैं वे विधिक रूप से और साक्ष्य के अनुकूल हैं अथवा नहीं? और क्या आरोपी/अपीलार्थी रणधीरसिंह चौहान के विरुद्ध मामला संदेहजनक है। जैसाकि अपीलार्थी/आरोपी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्कों के माध्यम से आपत्ति ली गई है।

09. कथानक अनुसार घटना इस प्रकार की बताई गई है कि प्र0आर0 वीरबहादुर को दिनांक 06.01.10 को गस्त के दौरान उसे इस आशय की सूचना प्राप्त हुई कि बनीपुरा तिराहा पर दो बाहरी व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में अपराध करने की नीयत से हथियार लिये खड़े हैं। उक्त सूचना की तश्दीक हेतु हमराही फोर्स के साथ मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचा तो वहाँ पर दो व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे जिसे फोर्स की सहायता से पकड़कर नाम पता पूछा तो एक ने अपने नाम रणधीरसिंह चौहान पुत्र कप्तानसिंह चौहान निवासी किटी थाना मौ का होना बताया। जिसे पंचान उदयभानसिंह रामदास के जामा तलाशी लेने पर उसकी दाहिनी तरफ कमर में एक कट्टा 315 बोर का लोडेड हालत में मिला जिसे खोलकर देखा तो एक जिन्दा पीतल का राउण्ड लगा होना पाया गया। लायसेन्स मांगने पर कोई लायसेन्स न होना बताया। तब आरोपी से उक्त कट्टा व कारतूस की विधिवत जप्ती की गई व आरोपी कोई गिरफ्तार किया गया व थाने लाकर उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। इस तरह से कथानक मुताबिक प्रकरण के तीन ही महत्वपूर्ण साक्षी हैं जिनमें उदयभानसिंह, आरक्षक रामदास और घटना का परिवादी एवं विवेचक वीरबहादुर सिंह हो जाते हैं। इसके अलावा अनुसंधान के दौरान जप्त कट्टा कारतूस की आर्म्स मुहरिर से जांच कराई गई है और जिला दण्डाधिकारी भिण्ड से अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति प्राप्त करना बताया गया है। वह भी प्रकरण के लिये महत्वपूर्ण साक्षी हो जाते हैं। क्योंकि आयुध अधिनियम 1959 की धारा-3 का उल्लंघन

करते हुए अवैध आग्नेय शस्त्र आधिपत्य व संज्ञान में रखे पाये जाने की दशा में धारा-25(1-ख)(क) आयुध अधिनियम के तहत अभियोजन चलाने के लिये उक्त अधिनियम की धारा-39 के तहत जिला दण्डाधिकारी की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। इस दृष्टि से प्रकरण में परीक्षित आर्म्स क्लर्क भी महत्वपूर्ण साक्षी हो जाता है।

10. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय में अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षियों में से राजकिशोरसिंह अ0सा0-1, योगेन्द्रसिंह कुशवाह अ0सा0-3, प्र0आर0 रामदास अ0सा0-4 और वीरबहादुरसिंह अ0सा0-5 के कथनों को विश्वसनीय मानते हुए दोषसिद्धि व दण्डाज्ञा अधिरोपित की है। इसलिये यह भी विश्लेषित करना होगा कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त साक्षियों की अभिसाक्ष्य को उचित व न्यायिक रूप से विश्वसनीय मानने में कोई विधिक त्रुटि की है या नहीं की है।

11. आरक्षक आर्म्स मुहरिर राजकिशोरसिंह अ0सा0-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 15.01.10 को पुलिस लाइन भिण्ड में पदस्थ रहना बताते हुए हथियारों के परीक्षण की ट्रेनिंग प्राप्त होना कहा है और यह कहा है कि थाना गोहद के अप0क्र0-11/10 धारा-25/27 आयुध अधिनियम में जप्तशुदा 315 बोर का जीवित कट्टा व एक कारतूस उसे जांच हेतु दिनांक 15.01.10 को प्राप्त हुआ था जिसकी उसने जांच की थी। जांच के दौरान कट्टे का एक्शन चैक करने पर चालू हालत में पाया था जिसका जिससे फायर किया जा सकता था। जो कारतूस कट्टे के साथ भेजा गया था जिसकी पैदी पर अंग्रेजी में 8 एमएमकेएफ लिखा था वह फायर योग्य था जिसकी उसने प्र0पी0-1 की जांच रिपोर्ट तैयार करना और उस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर बताते हुए यह कहानी है कि कट्टा कारतूस सीलबंद होकर उसके पास आये थे और चैक किये थे। बाबूराम के समक्ष कट्टा व कारतूस खोलकर नहीं देखे थे लेकिन कार्यालय में बैठकर उसने कार्यवाही करने से इन्कार किया है।

12. उक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य में कोई अन्यथा तथ्य नहीं आये हैं। उसके द्वारा कट्टा कारतूस सीलबंद अवस्था में प्राप्त होना बताया गया है और उसका कोई खण्डन नहीं हुआ है। स्पष्ट रूप से उसने थाना गोहद के अप0क्र0-11/10 में उक्त शस्त्र जप्तशुदा प्राप्त होना कहा है। अभियोजन के कथानक मुताबिक भी आरोपी/अपीलार्थी से जप्त हुए अवैध आग्नेय शस्त्र के लायसेन्सधारी न होने के कारण और अपने आधिपत्य में सार्वजनिक स्थल पर उसे रखने के कारण ही उक्त अपराध क्रमांक-11/10 थाना गोहद में पंजीबद्ध किया गया था। चूंकि उक्त साक्षी आर्म्स के संबंध में विशेषज्ञ साक्षी की हैसियत से अभिसाक्ष्य देने आया है जिससे उसकी प्र0पी0-1 के द्वारा व्यक्त की गई राय सुसंगत है और उसके अभिसाक्ष्य से इस बिन्दु की प्रमाणिकता हो जाती है कि उसके समक्ष थाना गोहद से आरक्षक बाबूराम क्रमांक-998 जो कट्टा कारतूस जांच हेतु लेकर गया था वह 315 बोर के थे। तथा कट्टा चालू हालत में होकर और कारतूस जीवित होकर फायर योग्य थे। आगे यह देखना होगा कि उक्त कट्टा कारतूस ही आरोपी/अपीलार्थी के कब्जे से बरामद हुए या नहीं हुए।

13. जहाँ तक मूल कार्यवाही का प्रश्न है, मौके की कार्यवाही के दस्तावेज प्र0पी0-2 का जप्ती पत्रक और प्र0पी0-3 का गिरफ्तारी पत्रक है जो घटना का आधार है जिससे संबंधित साक्षी उदयसिंह उर्फ उदयभान उर्फ पापेलाल अ0सा0-2 के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने अपने अभिसाक्ष्य में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। उसने प्र0पी0-2 व 3 के दस्तावेजों पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना अवश्य कहा है किन्तु इस बात से इन्कार किया है कि उसके सामने आरोपी रणधीरसिंह से पुलिस द्वारा 315 बोर का एक कट्टा देशी व एक जिन्दा कारतूस सहित जप्त किया गया था और उसे गिरफ्तार किया

गया था। और इस संबंध में उसने प्र0पी0-4 का पुलिस को कथन देने से भी इन्कार किया है।

14. साक्षी ने यह भी बताया है कि रक्षा समिति का सदस्य है और पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही की जाती है तो कभी कभी पुलिस उसे साथ ले जाती है। लेकिन उसे विचाराधीन केस के बारे में कोई पता नहीं है और उसके सामने कोई कार्यवाही पुलिस द्वारा नहीं की गई थी। उक्त साक्षी को बचाव पक्ष की ओर से निष्पक्ष साक्षी की संज्ञा दी गई है। उसके द्वारा जप्ती गिरफ्तारी की कार्यवाही का समर्थन अवश्य नहीं किया गया है किन्तु प्र0पी0-2 के जप्ती पत्रक और प्र0पी0-3 के गिरफ्तारी पत्रक पर वह अपने हस्ताक्षर करना स्वीकार करता है। हस्ताक्षर कहाँ किये यह उसने नहीं बताया है। यद्यपि वह पुलिस के साथ बनीपुरा चौराहा पर जाने से इन्कार करता है। किन्तु उसकी यह स्वीकारोक्ति अवश्य आई है कि कब कब पुलिस उसे कार्यवाही के समय साथ भी ले जाती है। तथ विचाराधीन मामले के संबंध में वह अभियोजन का समर्थन नहीं कर रहा है और पक्ष विरोधी है। अभियोजन द्वारा उसे पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न भी प्रतिपरीक्षण की भांति पूछे गये थे जिनमें आरोपी के विरुद्ध कोई तथ्य नहीं आये हैं जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त साक्षी के द्वारा कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अन्य साक्षियों की अभिसाक्ष्य का अत्यंत सावधानीपूर्वक विश्लेषण और मूल्यांकन किये जाने की आवश्यकता हो जाती है। क्योंकि मौके की कार्यवाही के शेष दोनों साक्षी रामदास और वीरबहादुर सिंह दोनों ही पुलिस कर्मी हैं तथा एक साथ एक ही थाने में पदस्थ रहे हैं जिससे उनकी आपस में हितबद्धता तो संभव है किन्तु क्या किसी हितबद्धता के चलते उन्होंने न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिया है, जब तक यह स्थापित न होकर जाये तब तक उनकी अभिसाक्ष्य पर केवल इस आधार पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है कि वे पुलिस साक्षी हैं क्योंकि पुलिस साक्षियों की साक्ष्य को यांत्रिक तरीके से निरस्त नहीं किया जा सकता है। जैसा कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने आलोच्य निर्णय की कण्डिका-20 में उल्लेखित किया है।

15. यह सुस्थापित दाण्डिक विधि है कि पुलिस साक्षियों की साक्ष्य को भी अन्य साक्षियों की भांति ही विश्लेषण में लिया जाना चाहिए और ऐसा कोई नियम नहीं है कि अन्य साक्षी की पुष्टि के अभाव में पुलिस अधिकारी की साक्ष्य को अविश्वसनीय माना जा सके। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने भी इस संबंध में भी आलोच्य निर्णय की कण्डिका-19 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत का उल्लेख करते हुए यह बात कही है।

16. मौके की कार्यवाही के तत्कालीन प्र0आर0 साक्ष्य के समय रहे ए0एस0आई0 वीरबहादुर अ0सा0-5 के द्वारा की गई है और तत्कालीन आरक्षक वर्तमान में प्र0आर0 रामदास अ0सा0-4 को पंच साक्षी की हैसियत से हमराह पुलिस बल में विवेचक के साथ रहने के आधार पर पेश किया गया है इसलिये दोनों साक्षियों का एकसाथ मूल्यांकन करते हुए उनकी विश्वसनीयता का आंकलन करना होगा।

17. वीरबहादुरसिंह अ0सा0-5 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया गया है कि दिनांक 06.01.10 को वह थाना गोहद में प्र0आर0 के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को कस्बा गस्त के दौरान उसे मुखबिर की सूचना मिली जिस पर से उसने आरक्षक रामदास व उदयभान उर्फ पापालाल को सूचना से अवगत कराते हुए साथ लेकर बनीपुरा तिराहा पहुंचा था तो दो व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे थे जिन्हें फोर्स की मदद से घेरकर पकड़ा था तो एक व्यक्ति के दाहिनी तरफ कमर में एक 315 बोर का लोडेड कट्टा मिला था जिसको रखने का लायसेन्स पूछने पर न होना बताया। तब नाम पता पूछने पर आरोपी ने अपना नाम पता बताया था। फिर उससे उक्त दोनों आरक्षक रामदास

व पापालाल के समक्ष जप्ती गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई थी। जप्ती पत्रक प्र०पी०-2 बनाया था व जप्ती की थी। उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर प्र०पी०-3 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया था। फिर उसे थाने लेकर उसके विरुद्ध प्र०पी०-6 की एफ०आई०आर० लेखबद्ध की थी। तत्पश्चात उसने साक्षियों के कथन लिये थे। जप्तशुदा कट्टा आर्टिकल ए-1 तथा कारतूस आर्टिकल ए-2 बताये हैं।

18. आरक्षक रामदास अ०सा०-4 ने भी अपने न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में इसी तरह की साक्ष्य देते हुए प्र०पी०-3 का समर्थन किया है। उसने इस बात का भी समर्थन किया है कि दो लोग थे जिनमें से रणधीर के दाहिनी तरफ कमर से कट्टा निकाला था। पेन्ट की जेब से मिला था। पैरा-3 में उसने यह भी स्पष्ट किया है कि आरोपी ने अपने गांव का नाम भी किटी बताया था। दूसरा व्यक्ति उदयसिंह था जो किटी गांव का नहीं था और उसे गिरफ्तार नहीं किया गया था और पहले जप्ती पंचनामा बनाया गया था। उसके बाद गिरफ्तारी पंचनामा बनाया था। तथा कमर में से कट्टा निकालते हुए दीवानजी को उसने स्वयं देखा था। घटनास्थल पर उसने मकान बने होना स्वीकार करते हुए यह भी कहा है कि दीवान जी ने आसपास के लोगों को नहीं बुलाया था। मौके की स्थिति को स्पष्ट करते हुए उसने कहा है कि घटनास्थल के दूसरी तरफ मकान बने थे। कौने पर एक चक्की भी लगी है, दूध डेयरी है और वहाँ लोग खड़े भी थे। पैरा-4 में उसने यह भी स्पष्ट किया है कि जप्ती गिरफ्तारी पर उसके व पापालाल के दीवानजी ने हस्ताक्षर कराये थे। यह भी स्पष्ट किया है कि पापालाल के दो नाम हैं इससे उदयसिंह उर्फ पापालाल अ०सा०-2 की स्थिति स्पष्ट होती है और उसके भी साथ में होना अ०सा०-4 व 5 के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित होता है। हालांकि अ०सा०-2 ने घटना का समर्थन नहीं किया है किन्तु जप्ती गिरफ्तारी पत्रकों पर उसके अखण्डनीय हस्ताक्षरों से उसकी उपस्थिति इंगित होती है। ऐसी स्थिति में उदयसिंह उर्फ उदयभान और पापालाल के पक्ष विरोधी होने से अभियोजन के मामले पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं माना जा सकता है।

19. वीरबहादुरसिंह अ०सा०-5 के द्वारा पैरा-2 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पुलिस को देखकर जो दोनों लोग भागे थे वह पश्चिम की तरफ भागे थे जिन्हें पकड़ा गया था जो पेन्ट शर्ट पहने थे। उसने सुबह करीब साढ़े आठ बजे थाने से रवाना होना और दस बजे वापिस होना बताया है और यह स्वीकार किया है कि रवानगी वापिसी का रोजनामचासान्हा प्रकरण में पेश नहीं किया गया है। साक्ष्य के दौरान रोजनामचासान्हा के संबंध में आरोपी/अपीलार्थी की ओर से कोई आपत्ति प्रकट नहीं की गई है। रोजनामचासान्हा के बारे में और कोई सुझाव भी नहीं दिया गया है। इसलिये रोजनामचासान्हा पेश न होने मात्र के आधार पर अ०सा०-4 व 5 की अभिसाक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि ऐसा खण्डन नहीं हुआ है कि रोजनामचासान्हा ही नहीं लिखा गया न ही रोजनामचासान्हा मंगाया गया। यदि उसके बारे में बचाव पक्ष द्वारा कोई सुझाव दिया जाता तो स्थिति स्पष्ट हो सकती थी। इसलिये अपील स्तर पर रोजनामचासान्हा पेश न होने की की गई आपत्ति बचाव के आधार के रूप में ग्रहण नहीं की जा सकती है।

20. जहाँ तक अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि पुलिस ने दो लोगों को पकड़ा था और उनमें से आरोपी पर मामला बना दिया। दूसरे के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है इसलिये मामला संदिग्ध माना जावे, यह तर्क इस कारण स्वीकार योग्य नहीं है कि यदि पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है तो उसके आधार पर आरोपी दोषमुक्ति का दावेदार नहीं हो सकता है बल्कि यह देखा जाना होगा कि आरोपी/अपीलार्थी से वास्तव में अवैध आग्नेय शस्त्र की बरामदगी हुई या नहीं हुई। दूसरे

व्यक्ति के बारे में अ0सा0-4 व 5 ने अपने अभिसाक्ष्य में इन्कार नहीं किया है। अ0सा0-5 ने दूसरे व्यक्ति को मानगढ़ थाना रौन का रहने वाला बताया है। उसकी गिरफ्तारी से इन्कार किया है। बचाव पक्ष की ओर से ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि उसे क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया अन्यथा विवेचक स्थिति स्पष्ट कर सकता था। आरोपी/अपीलार्थी का ऐसा भी आधार नहीं है कि दूसरा व्यक्ति अवैध आग्नेय शस्त्र रखे हो और उससे बरामदगी करके पुलिस ने झूठा मामला बनाया हो।

21. अभिलेख पर आरोपी/अपीलार्थी की घटना के परिवादी और विवेचक वीरबहादुर या रामदास या किसी पुलिस कर्मी से किसी प्रकार की कोई रंजिश होने का स्पष्टीकरण नहीं दिया है न ही पुलिस से रंजिश बताई गई है इसलिये पुलिस साक्षियों को अविश्वसनीय माने जाने का कोई भी आधार अभिलेख पर नहीं है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आलोच्य निर्णय में धारा-134 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में भी निष्कर्ष दिया है। जप्ती गिरफ्तारी की मौखिक कार्यवाही का समर्थन अ0सा0-4 रामदास के द्वारा स्पष्ट रूप से किया गया है जिससे प्र0पी0-2 व 3 की कार्यवाही वास्तव में मौके पर होना जो अ0सा0-5 द्वारा की गई, उसकी प्रमाणिकता को बल मिलता है।

22. अ0सा0-5 ने भी पैरा-2 में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि मौके पर कट्टे की लंबाई चौड़ाई नापने का उसके पास कोई यंत्र नहीं था। उक्त साक्षी को कट्टा मौके पर सीलबंद किये जाने के संबंध में कोई भी सुझाव नहीं दिया गया है। इसलिये ऐसा नहीं माना जा सकता है कि थाने पर झूठी कार्यवाही की है। यद्यपि यह सही है कि प्र0पी0-2 के जप्ती पत्रक में कॉलम नंबर-13 में जो सील नमूना की छाप के लिये होता है वह रिक्त है जबकि जप्ती पत्रक पर सील नमूना अंकित नहीं है किन्तु इस तकनीकी आधार पर भी दोषमुक्ति नहीं हो सकती है क्योंकि प्र0पी0-2 के जप्ती पत्रक के विवरण में यह स्पष्ट नोट अंकित किया गया है कि मौके पर जप्तशुदा कट्टा और राउण्ड सीलबंद कर जप्ती चिट लगाई गई। हस्ताक्षर साक्षियों के कराकर चिट लगाई गई है। उक्त नोट के संबंध में बचाव पक्ष की ओर से अ0सा0-4 व 5 को कोई भी सुझाव नहीं दिया गया है जिससे प्र0पी0-2 के उक्त नोट के सही होने की उपधारणा की जावेगी। ऐसे में अ0सा0-4 व 5 के अभिसाक्ष्य से मौके की कार्यवाही और प्र0पी0-2 व 3 के मुताबिक ही कार्यवाही होना प्रमाणित होता है क्योंकि उनकी अभिसाक्ष्य में बताया गया यह बिन्दु कि पहले जप्ती की कार्यवाही हुई, फिर गिरफ्तारी की हुई। यह प्र0पी0-2 व 3 में उल्लेखित समय से भी पुष्ट होती है तथा सुबह दस बजे वापिसी बताई गई है। प्र0पी0-6 की एफ0आई0आर0 मुताबिक दिनांक 06.01.10 को ही सुबह 10.35 बजे अप0क्र0-11/10 पर आरोपी/अपीलार्थी के विरुद्ध पंजीबद्ध की गई है। इस संबंध में भी अ0सा0-5 की स्पष्ट साक्ष्य है और प्रतिपरीक्षा में उसका खण्डन नहीं हुआ है।

23. राजकिशोर अ0सा0-1 के द्वारा उक्त अपराध क्रमांक में जप्त बताये गये कट्टा कारतूस की भी जांच की गई है और उसे फायर योग्य बताया गया है। इसलिये विवेचक की साक्ष्य के समय आर्टिकल-ए-1 के कट्टे पर वर्तमान में जंग लगे होने की स्वीकारोक्ति का भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं माना जा सकता है क्योंकि घटना दिनांक 06.01.10 की है और विवेचक अ0सा0-5 का अभिसाक्ष्य न्यायालय में दिनांक 14.02.14 को अर्थात् पांच वर्ष बाद हुआ है। पांच वर्ष की अवधि में कट्टा बंद होकर मालखाने में रखे रहने से वातावरण के बदलते रहने के कारण यदि जंग लग जाये तो उसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि जप्तशुदा शस्त्र निरोपयोगी था या आग्नेय शस्त्र की श्रेणी का नहीं था। क्योंकि राजकिशोर अ0सा0-1 के अभिसाक्ष्य के समय उक्त बात नहीं आई न ही कट्टा कारतूस पेश हुए। न ही पेश कराये जाने की मांग की इसलिये वर्तमान

में जंग लगे होने का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा और इस आधार पर मामला संदिग्ध नहीं माना जा सकता है।

24. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आलोच्य निर्णय की कण्डिका-18 में न्याय दृष्टांत काले बाबू विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम0पी0 2008 भाग-4 एम0पी0एच0टी0 397 का उल्लेख किया गया है जिसमें स्वतंत्र साक्ष्य का समर्थन न करने पर पुलिस अधिकारी की साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं माने जाने का मार्गदर्शन दिया गया है जो इस प्रकरण में अ0सा0-4 व 5 के अभिसाक्ष्य के आधार पर प्रायोज्य किये जाने योग्य हो जाता है और अ0सा0-4 व 5 के अभिसाक्ष्य से इस बिन्दु की विधिक रूप से पुष्टि हो जाती है कि आर्टिकल ए-1 व ए-2 के रूप में जो कट्टा कारतूस आरोपी/अपीलार्थी से थाना गोहद के अप0क्र0-11/10 में जप्त बताये गये हैं वे प्र0पी0-2 मुताबिक ही आरोपी/अपीलार्थी से जप्त हुए थे। इसलिये अ0सा0-4 व 5 की साक्ष्य को विश्वसनीय मानने में कोई विधिक त्रुटि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जाना नहीं पाया जाता है।

25. अन्य साक्षी योगेन्द्रसिंह कुशवाह अ0सा0-3 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 17.02.10 को जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के कार्यालय में आर्म्स लिपिक के पद पर पदस्थ रहना बताते हुए पुलिस अधीक्षक भिण्ड के पत्र क्रमांक-11/10 धारा-25/27 आर्म्स एक्ट की केसडायरी मय सीलबंद शस्त्र के आरक्षक नवलकिशोर द्वारा प्रस्तुत किये जाने के पश्चात तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी श्री रघुराज राजेन्द्रन द्वारा अवैध आग्नेय शस्त्र रखना पाते हुए धारा-39 आयुध अधिनियम 1959 के तहत अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान करना बताया है जो अभियोजन स्वीकृति प्र0पी0-5 बताई है जिसके बी से बी भाग पर उसने तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी के हस्ताक्षरों की पहचान की है और स्वयं के भी लघु हस्ताक्षर ए से ए भाग पर बताये हैं जिसका कोई खण्डन नहीं हुआ है। बचाव पक्ष की ओर से केवल इस आशय का सुझाव दिया गया था कि शस्त्र को चलाकर नहीं देखा गया। अभियोजन स्वीकृति प्रदान करते समय जिला दण्डाधिकारी को शस्त्र चलाकर देखने की आवश्यकता नहीं होती है। बल्कि केसडायरी एवं प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों के आधार पर न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए यदि यह पाया जाता है कि आग्नेय शस्त्र वगैरै वैध अनुज्ञप्ति के कोई व्यक्ति अपने आधिपत्य या संज्ञान में रखे है तो ऐसा करना आयुध अधिनियम 1959 की धारा-3 के उल्लंघन की श्रेणी में आता है और ऐसे मामले में अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। अ0सा0-3 के रूप में जो साक्ष्य अभिलेख पर आई है उससे आग्नेय शस्त्र व केसडायरी प्रस्तुत करने पर अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान की जाना पाया जाता है जिससे प्र0पी0-5 की स्वीकृति विधिसम्मत होकर साक्ष्य में ग्राह्य योग्य है और अ0सा0-3 ने प्र0पी0-5 को अपनी साक्ष्य से प्रमाणित किया है जो कि विचाराधीन अपराध के प्रमाणन के लिये आवश्यक शर्त है जिसका प्रकरण में पालन हुआ है।

26. इस प्रकार से उपरोक्त साक्ष्य, तथ्य, परिस्थितियों के विश्लेषण के आधार पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय दिनांक 18.11.14 में विरचित आरोपों के संबंध में अभियोजन साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए निकाले गये निष्कर्ष विधि एवं तथ्यों के अनुरूप होना पाये जाते हैं जिससे आरोपी/अपीलार्थी रणधीर को धारा-25(1-ख)(क) आयुध अधिनियम 1959 के आरोप में दोषसिद्ध ठहराये जाने में कोई विधिक त्रुटि न करना पाया जाता है। फलतः दोषसिद्धि के बिन्दु पर प्रस्तुत दाण्डिक अपील स्वीकार योग्य न होने से निरस्त की जाती है।

27. जहाँ तक दण्डाज्ञा का प्रश्न है, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

आरोपी/अपीलार्थी रणधीर को उक्त अपराध के लिये एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000/-रुपये (एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। यह सही है कि अभिलेख पर आरोपी/अपीलार्थी के पूर्व दोषसिद्ध होने का कोई प्रमाण पेश नहीं है जिससे उसके प्रथम अपराधी होने की पुष्टि होती है। आरोपी/अपीलार्थी 21 वर्ष से अधिक आयु का है। तथा वर्तमान में 34-35 साल का है इसलिये वह उक्त अपराध में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत लाभ की पात्रता नहीं रखता है। अतः परिवीक्षा पर न छोड़े जाने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष उचित है तथा दोषसिद्ध अपराध में अवैध आग्नेय शस्त्रों को रखने की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं न्यूनतम अर्थदण्ड एक हजार रुपये किया गया है। उक्त अपराध में तीन वर्ष के कारावास का प्रावधान भी है जिसे देखते हुए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिरोपित दण्डाज्ञा भी अनुचित या अविवेकपूर्ण नहीं कही जा सकती है। फलतः दण्डाज्ञा के बिन्दु पर भी आरोपी/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक अपील सारहीन मानते हुए निरस्त की जाती है।

28. आरोपी को अभिरक्षा में लिया जाकर उसे शेष दण्डाज्ञा भुगताये जाने हेतु धारा-428 द्रप्रसं के प्रमाण पत्र सहित जेल भेजा जावे।

29. आरोपी के अपील में प्रस्तुत जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

30. प्रकरण में जप्शुदा संपत्ति के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की कण्डिका-32 को यथावत रखा जाता है।

31. निर्णय की एक प्रति आरोपी को निःशुल्क दी जावे एवं एक प्रति डी0एम0 भिण्ड की ओर भेजी जावे।

दिनांक: 16.02.2016

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु न्यायलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)